

हरियाणा सरकार  
आबकारी तथा कराधान विभाग  
अधिसूचना

दिनांक 8 मई, 2017

संख्या 16/एस0टी0-1/ह0अ0 6/2003/धा0 59 /2017. - चूंकि, राज्य सरकार की संतुष्टि हो गई है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण लोकहित में तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक है ;

इसलिए, अब, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) की धारा 59 की उप-धारा (1) के परन्तुक के साथ पठित उक्त उप-धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पूर्व नोटिस की शर्त को अभिमुक्त करते हुए, तुरन्त प्रभाव से उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची ख में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) में,

(i) अनुसूची ख में, खाना 1 तथा 2 के नीचे, क्रम संख्या 46 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“46क (i) सोलर डिवाइज जैसे सोलर लालटेन, सोलर होम सिस्टम, स्टैंड अलोन स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम, सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम, सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम, सोलर कुकर (बॉक्स एवं डिश टाइप), सोलर चार्जर/इन्वर्टर।

(ii) हरियाणा में सोलर विद्युत जनरेशन (छत के ऊपर तथा भूमि दोनों पर) लगाये जाने वाले संयंत्र की स्थापना के लिए खरीदे गए सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल, सोलर कलेक्टरस, सोलर डिशिज इसके इनवर्टर या पी0सी0यू0 (विद्युत कंडीशनिंग इकाइया) ऊर्जा मीटर और आलटरनेटरस ।

(iii) स्पेयर पार्ट्स अर्थात् सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल, सोलर कलेक्टरस, सोलर डिशिज।”;

(ii) अनुसूची ग में, खाना 1 तथा 2 के नीचे, क्रम संख्या 75 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

“75 अनुसूची ‘ख’ की क्रम संख्या 46क में आने वाली वस्तुओं को छोड़कर नवीकरणीय ऊर्जा यंत्र, संघटक तथा उनके अतिरिक्त पुर्जे।”;

संजीव कौशल,  
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
आबकारी तथा कराधान विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT**  
**EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT**  
**NOTIFICATION**

The 8<sup>th</sup> May, 2017

**No. 16 /ST-1/H.A. 6/2003/S.59/2017.** - Whereas, the State Government is satisfied that circumstances exist which render it necessary to take immediate action in public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 59 read with proviso to said sub-section of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in Schedule B appended to the said Act with immediate effect by dispensing with the condition of previous notice, namely:-

**AMENDMENT**

In the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003),-

(i) in Schedule B, under columns 1 and 2, after serial number 46 and entry thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely:-

- “46A
- (i) Solar devices like solar lantern, solar home system, stand alone street lighting system, solar water heating system, solar water pumping system, solar cooker (box as well as dish type), solar charger/inverter.
  - (ii) Solar photovoltaic modules, solar collectors, solar dishes, its inverters or PCUs (Power Conditioning Units), energy meters and alternators purchased for the installation of solar power generation plants (both rooftop and ground mounted) in the State of Haryana.
  - (iii) Spare parts i.e. Solar photovoltaic modules, solar collections and solar dishes.”.

(ii) in Schedule C, under columns 1 and 2, after serial number 75 and entry thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

- “75 Renewable energy devices, components and spare parts thereof **except goods falling in serial number 46A of Schedule ‘B’.**”.

SANJEEV KAUSHAL,  
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,  
Excise and Taxation Department.